न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19 / 2024 (उदयपुर आर्डर)

कचरा पिता खातु जी बलाई, जाति बलाई, निवासी थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. बंशीलाल पिता होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवीलाल पिता होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रकाशचन्द्र पिता होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. दिनेश (विनेश) कुमार पिता होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कैलाश कुमारी पुत्री पिता होमा जी पत्नी भीखालाल जी, निवासी गांव डेरी, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती शान्ता पत्नी होमा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. किशोरलाल पिता थावरा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. कालूराम पिता थावरा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. शंकरलाल पिता थावरा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. कैलाश पिता थावरा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती कमला पुत्री थावरा जी, जाति मेघवाल, निवासी गांव थाणा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती सुखी पुत्री थावरा जी पत्नी कान्तिलाल, जाति मेघवाल, निवासी कनबई, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

14. श्रीमती मीरा पुत्री थावरा जी पत्नी सीखातुजी, जाति मेघवाल, निवासी कातरवास, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नयागांव
दिनांक 22.02.2024 प्र.सं. 7/2023

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अजय सिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री आर.एल. जैन अभिभाषकर रे.सं. 1 से 7
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि. रे. सं. 15

———::———

निर्णय **दिनांक 28–05–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 99, 102, 103 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम थाणा में स्थित है, जिसके नवीन नंबर 299 से 306 कुल किता 8 रकबा 0.5700 हैक्टर है। भू–प्रबन्ध के दौरान मैट्रिक प्रणाली में प्रार्थी के खाते में 0.0350 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गयी, जो विपक्षी संख्या 1 से 14 के खाते व नक्शे में सम्मिलित कर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गयी है, जो प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। जबकि उक्त 0.0350 हैक्टर पर कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है, किन्तु उक्त रकबा विपक्षीगण के खाते में दर्ज हो जाने से विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं एवं नीवें खोदकर निर्माण सामग्री एकत्रित कर ली है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06–04–2023 को दिनांक 04–05–2023 तक के लिए अस्थायी ... जारी की गयी तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद दिनांक ... 02–2024 को उक्त जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एल. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण को दखा, न ही सुविधा के संतुलन के बिन्दु को देखा तथा केवल मात्र पुलिस जांच के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण दस्तावेजात, जमाबन्दी, पेन्टाग्राफ एवं मौके की स्थिति बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार साबिक आराजी नंबर 99, 102, 103 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं हाल 299 से 306 कुल किता 8 रकबा 0.5700 हैक्टर भूमि अपीलान्ट/प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/प्रार्थी का कथन है कि भू–प्रबन्ध के दौरान अपीलन्ट के खाते में 0.0350 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गयी, जो विपक्षी संख्या 1 सो 14 के खाते व नक्शे में सम्मिलित कर दी गयी है, जिस पर विपक्षीगण उसपर कब्जा करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

चाहते हैं एवं मकान व निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जिसका जवाब विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि प्रार्थी/अपीलान्ट का साबिक खसरा नंबर के रकबे व नक्शे अनुसार कभी कब्जा नहीं रहा तथा भू–प्रबन्ध संवत् 2041 के समय भी उनका कब्जा नहीं था, बल्कि कब्जा विपक्षी का चला आ रहा है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध जो परिवाद पेश किया है, जो झूठा पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट/प्रार्थी के पुत्र बाबुलाल द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरवाड़ा के यहां परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस अनुसंधान में यह पाया गया कि परिवादी बाबुलाल अपने खाते शुदा जमीन से सटी हुई अपरिवादी पक्ष की जमीन पर कब्जा करना चाहता है तथा अपरिवादी पक्ष पर बार–बार दबाव बनाकर प्रकरण दर्ज करवाकर स्वयं कब्जा करना चाहता है एवं लगातार झूठे परिवाद पेश करता रहा है तथा प्रकरण में लगाये गये सभी आरोप झूठे पाये गये हैं। इस प्रकार पुलिस अनुसंधान में प्रार्थी का परिवाद झूठा पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यों पर विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 22–02–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested